


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1814]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, सितम्बर 11, 2014/भाद्र 20, 1936

No. 1814]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2014/BHADRA 20, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 2014

का.आ. 2308(अ).— भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अधिसूचना सं. का.आ. 2534(अ), तारीख 11 नवंबर, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रत्येक केबल प्रचालक के लिए किसी भी चैनल के कार्यक्रमों के पारेषण या पुनः पारेषण को कूट रूप में डिजिटल संबोध्य प्रणाली के माध्यम से शहरों/नगरों/क्षेत्रों में उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख से बाध्यकर बनाया था;

और केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख का निम्नानुसार विस्तार करने का विनिश्चय किया है:

(क) चरण III के सामने वर्णित शहरों/नगरों/क्षेत्रों की बाबत 30 सितंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2015;
और

(ख) चरण IV के सामने वर्णित शहरों/नगरों/क्षेत्रों की बाबत 31 दिसंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2016;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (क) स्तंभ (4) के अधीन चरण III के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2015" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ख) स्तंभ (4) के अधीन चरण IV के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2016" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 9/123/2013-बीपी एंड एल]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2014

S.O. 2308(E).—Whereas, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting had, *vide* notification number S.O. 2534(E), dated the 11th November, 2011 (herein referred to as the said notification), made it obligatory for every cable operator to transmit or re-transmit programmes of any channel in an encrypted form through a digital addressable system in the cities/towns/areas with effect from date specified in column (4) of the Table in the said notification;

Whereas, the Central Government, on being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, has decided to extend the date specified in Column (4) of the Table in the said notification as under:

- (a) in respect of the cities/towns/areas mentioned against Phase-III, from 30th September, 2014 to 31st December, 2015; and
- (b) in respect of the cities/towns/areas mentioned against Phase-IV, from 31st December, 2014 to 31st December, 2016.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely: —

In the said notification, in the Table, —

- (a) for the entry under column (4) occurring against Phase-III, the entry "31st December, 2015" shall be substituted;
- (b) for the entry under column (4) occurring against Phase-IV, the entry "31st December, 2016" shall be substituted.

[F. No. 9/123/2013-BP&L]

SUPRIYA SAHU, Jt. Secy.